न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	/26	2026/01	05/01/2026	रामकिशोर बनाम सरकार	25.02.2026	1 लगायत 2

1. रामकिशोर त्रिवेदी पुत्र भौरीलाल उम्र 78 साल जाति ब्राहम्ण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :– पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 135/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उदेई कलां स के आराजी ख0नं0 8263/4943 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि खं0नं0 8263/4953 स्थित ग्राम उदेई पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर फार्म पोण्ड का निर्माण नहीं कराया है। भूमि खं0नं0 8263/4943 गैर मुमकिन चरागाह की भूमि के लगवां प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खं0नं0 4933 रकबा 0.80 है0 स्थित है। जिस पर फार्म पोण्ड का निर्माण कराया गया है। पटवारी हल्का ने मौके [illegible] देखे बिना ही गलत तथ्यों के साथ प्रार्थी के विरूद्ध चरागाह भूमि पर अतिक्रमण [illegible] कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही विद्वान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 123/2025 रामकिशोर बनाम सरकार ।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थी का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी उक्त वाद आराजीयात का सीमाज्ञान करवाये तथा उक्त वाद आराजी ख0नं0 8263/4943 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं पाया जाता है तो निर्णय दिनांक 25.02.2025 खारिज कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2025 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:08:12 IST
Reason: SelfAttested